INDEX

STARRED ASSEMBLY QUESTION NO. *14/15/12

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	Reply of Assembly Question No. *14/15/12 (English)	1
2.	Note For Pad (English)	2-3
3.	Reply of Assembly Question No. *14/15/12 (Hindi)	4
4.	Note For Pad (Hindi)	5-7

***14/15/12**

To Set up an Industrial Park

19/01/2023

***14/15/12 Dr. ABHE SINGH YADAV (Nangal Chaudhry)**

Industries and Commerce Minister:

Will the Deputy Chief Minister be pleased to State: -

a) Whether it is not advisable to set up an Industrial park along with the logistic hub near Narnaul to take advantage of this project and the fast rail Connectivity through WDFC and the road connectivity of three National Highways;
b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to set up an industrial park in the abovesaid area; and
c) Whether there is also any proposal under consideration of the Government to procure land in the abovesaid area for the said purpose?

Reply:

Sh. Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister, Haryana.

a) Sir, it is advisable to set up an Industrial Park, alongwith the logistic hub, near Narnaul.
b) Yes sir.
c) HSIIDC is in the process of identifying suitable land for expansion of Integrated Multi-Modal Logistic Hub (IMLH) Project. The said process is at initial stage. If the Corporation succeeds in procurement of land for expansion of IMLH Project, then part land will be utilized for Industrial use as per the requirement.

NOTE FOR PAD

***14/15/12 Dr. ABHE SINGH YADAV (Nangal Chaudhary)**

Status of Multi-Modal Logistic Hub Project at Narnaul District Mahendragarh.

1. Project Concept: An Integrated Multimodal Logistic Hub is to be developed over the area of about 886.78 acres in Southern Haryana which will comprise all facilities including: Export Import (EXIM)/Domestic Container Yard and Container Freight Station for storage & handling of domestic container cargo; Auto Zone for storage of automobiles; Commercial Area for commercial developments/activities and area for common facilities like – Power stations & transmission, Water Tanks & pipes, Security, Truck parking etc.

2. Location: The project site is located across three villages - Bashirpur, Ghataser and Talot in Mahendergarh district of Haryana and is close to the Haryana – Rajasthan Border region. The site is adjacent to the Western DFC to its North.

3. Project Implementation: The Government of Haryana and NICDIT (erstwhile DMIC Trust) has incorporated a 'Special Purpose Vehicle' (SPV) under the name of NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited for implementation of the project. The State Govt. will provide land to the project SPV as its share of equity and matching equity will be released by Govt. of India for funding trunk infrastructure.

4. Status of project:

- Techno Economic Feasibility Study (TEFS) for the project has been carried out by M/s RITES Consortium. RITES did the master planning for 886.78 acres.
- National Industrial Corridor Development & Implementation Trust (NICDIT) on 23rd August 2017 has approved the project and investment of Rs. 266 crores as equity contribution and Rs 497.45 crores as debt by NICDIT. The total project cost of project as approved by CCEA is Rs. 1029.49 crore.
- SPV had applied for a loan of Rs. 497.45 crore from the NICDIT for developing trunk infra components. A loan agreement was signed between NICDIT and SPV on 5th May 2022. First tranche of Rs. 100 crores has already been disbursed to the SPV.
- HSIIDC has already transferred 698 acres of land of the SPV against 886.78 acres of land required for the project and NICDIT has contributed Rs. 203 crores as its equity in the project.
- Environment Clearance for the project has already been obtained on 11th Sept 2019.

- Construction work related to the external connectivity for Road, Power, Water and Rail siding up to the project boundary is in advance stage of development below is the description: -

Sr. No.	Description	Linkage	Approved Cost Estimate (Rs. Crore)	Amount Released (Rs. Crore)	Estimated completion
1	Water Supply from ND-II to IMLH Site-Irrigation Deptt. Haryana	Connecting IMLH WTP with ND-II.	20.6565	20.66	March 2023
2	Power Supply to IMLH Site-HVPNL Deptt.	Connecting Deroli Ahir substation with 132 kV substation of IMLH.	45.13	45.13	April 2023
3	Road connectivity to IMLH Site -PWD (B&R) Haryana	Connecting IMLH site with NH-148 B.	86.305	69.42	March 2023
4	Rail Siding from New Dabla to IMLH site Boundary- DFCCIL	Connecting IMLH site with WDFC new Dabla Station.	144.59	72.30	April 2023
Total:			**296.68**	**207.51**	

- Most of the land for the project and its connectivity has been directly purchased from the landowners. The remaining land is being consolidated under the 'The Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act 2017'.
- Above said Act was amended in May 2020 to further suit the needs of the landowners. Amended Act is called 'The Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Amendment Act 2020'. However, landowners didn't agree to the amended conditions.
- Consolidation Act was challenged in Hon'ble Punjab and Haryana High Court in May 2019 by the land owners of area totalling 158 acres of project land. The case is in the argument stage and was last heard on 17.02.2023. But the case was not taken up for hearing and the case is now fixed for hearing on 20.02.2023.
- The Project is being executed in Phase wise manner i.e Phase-1A (Approx 390 acres) and Phase-1B (Approx. 496 acres) wherein Phase 1A is mostly litigation free.
- For developing the internal rail yard in Phase 1A the EPC tender document is under process by the SPV.

* 14/15/12

औद्योगिक पार्क स्थापित करना

19/01/2023

* 14/15/12 डा0 अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी)

उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री :

क्या उप–मुख्य मन्त्री कृपया बताएँगे कि:–

(क) क्या नारनौल के पास लॉजिस्टिक हब के साथ एक औद्योगिक पार्क स्थापित करना उपयुक्त नहीं है ताकि इस योजना का, डब्ल्यू.डी.एफ.सी के माध्यम से तीव्र रेलवे कनेक्टिविटी तथा तीन राष्ट्रीय राजमार्गों से कनेक्टिविटी का लाभ उठा सके;

(ख) क्या उपरोक्त क्षेत्र में एक औद्योगिक पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ग) क्या उक्त उद्देश्य के लिए उपरोक्त क्षेत्र में जमीन खरीदने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर :–

श्री दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा।

(क) महोदय, नारनौल के पास लॉजिस्टिक हब के साथ एक औद्योगिक पार्क स्थापित करना उपयुक्त है।

(ख) हॉ श्रीमान जी।

(ग) एच.एस.आई.आई.डी.सी. समेकित बहु योजना लोजिस्टिक हब केन्द्र (आई.एम. एल.एच.) परियोजना के विस्तार के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने की प्रकिया में है। कथित प्रकिया आरम्भिक चरण पर है। यदि निगम आई.एम.एल. एच. परियोजना के विस्तार के लिए भूमि की खरीद में सफल होता है, तो भाग भूमिका अपेक्षा के अनुसार औद्योगिक उपयोग के लिए प्रयोग किया जाएेगा।

पैड के लिए नोट

* 14/15/12 डा0 अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी)

नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ में बहु योजना लोजिस्टिक हब परियोजना की स्थितिः–

1. परियोजना धारणा : समेकित बहुयोजना लोजिस्टिक हब केन्द्र दक्षिणी हरियाणा में लगभग 886.78 एकड़ के क्षेत्र परविकसित किया जाना है जिसमें निम्नलिखित सभी सुविधाएं शामिल होगीः–

   घरेलू कन्टेनर कारगो के भण्डारण तथा संचालन के लिए निर्यात–आयात (ई.एक्सआई.एम.) /घरेलू कन्टेनर प्रागंण तथा कन्टेनर भाड़ा केन्द्र; आटोमोबाईल के भण्डारण के लिए आटो जोन, वाणिज्यिक विकास/कार्यकलापों के लिए वाणिज्यिक क्षेत्र तथा सामूहिक सुविधाओं के लिए क्षेत्र जैसे कि–विद्युत केन्द्र तथा प्रसारण, जल टैंक तथा पाईप, सुरक्षा, ट्रक पार्किंग आदि।

2. स्थान : परियोजना स्थल हरियाणा के जिला महेन्द्रगढ़ में तीन गॉव बसीरपुर, घाटेसर तथा तलोत के आरपार अवस्थित है तथा हरियाणा–राजस्थान सीमा क्षेत्र के निकट है। स्थल इसके उत्तर दिशा में पश्चिमी डी.एफ.सी. के निकटवर्ती है।

3. परियोजना कार्यान्वयन : हरियाणा सरकार तथा एन.आई.सी.डी.आई.टी. (पूर्व डी.एम.आई.सी. न्यास) ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एन.आई.सी.डी.सी. हरियाणा बहु योजना लोजिस्टिक हब परियोजना लिमिटेड के नाम के अधीन' विशेष प्रयोजन वाहन', (एस.पी.वी.) निगमित किया है। राज्य सरकार एस.पी.वी. परियोजना के लिए भूमि मुहैया करेगी जैसा कि इसका साम्याअंश तथा समरूप साम्या मुख्य मार्ग (ट्रंक) अवसंरचना निधिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किया जाएगा।

4. परियोजना की स्थिति :

- परियोजना के लिए शिल्प आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन (टी.ई.एफ.एस) मैसर्ज रिटस कॉन्सॉर्टियम द्वारा किया गया है। रिटस ने 886.78 एकड़ के लिए मास्टर योजना बनाई है।
- दिनांक 23 अगस्त, 2017 को राष्ट्रींय औद्योगिक कोरिडोर विकास तथा कार्यान्वयन न्यास (एन.आई.सी.डी.आई.टी.) ने साम्याअंश दान के रूप में परियोजना तथा 266 करोड़ रूपए के निवेश तथा एन.आई.सी.डी.आई.टी. द्वारा ऋण के रूप में 497.45 करोड़ रूपए का अनुमोदन किया है। परियोजना की कुल परियोजना लागत का सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित अनुसार 1029. 49 करोड़ रूपए है।
- एस.पी.वी. ने मुख्य मार्ग इन्फ्रा घटक को विकसित करने के लिए एन.आई.सी.डी.आई.टी. से 497.45 करोड़ रूपए के ऋण के लिए आवेदन किया है। ऋण करार दिनांक 5 मई, 2022 को एन.आई.सी.डी.आई.टी. तथा एस.पी.वी. के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। 100 करोड़ रूपए की प्रथम किस्त एस.पी.वी. को पहले ही वितरित कर दी गई है।

- एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने परियोजना के लिए अपेक्षित 886.78 एकड़ भूमि के विरूद्व एस. पी.वी. को 698 एकड़ भूमि पहले ही अन्तरित कर दी है तथा एन.आई.सी.डी.आई.टी. ने परियोजना में अपने साम्या के रूपमें 203 करोड़ रूपए अंशदान किये है।
- परियोजना के लिए पर्यावरण समाशोधन दिनांक 11 सितम्बर, 2019 को पहले ही प्राप्त कर लिया है।
- परियोजना सीमा तक सड़क, विद्युत, जल तथा रेल साईडिंग के लिए बाहरी संयोजकता से सम्बन्धित निर्माण कार्य विकास के अग्रिमचरण में है जिसका वर्णन नीचे दिया गया है:–

कम संख्या	वर्णन	संयोजन	अनुमोदित लागत अनुमान (करोड़ रूपए में)	जरी राशि (करोड़ रूपए में)	अनुमानित समापन
1	एन.डी.II से आई.एम.एल. एच. स्थल तक जल आपूर्ति–सिंचाइ 'विभाग, हरियाणा	एन.डी.II से आई.एम. एल.एच.डब्ल्यू.टी.पी. को जोड़ना	20.6565	20.66	मार्च, 2023
2	आई.एम.एल.एच. स्थल पर विद्युत आपूर्ति	डरोली अहिर उप–केन्द्र से आई.एम. एल.एच. के 132 के.वी. उप केन्द्र को जोड़ना	45.13	45.13	अप्रैल, 2023
3	आई.एम.एल.एच. स्थल पर सड़क संयोजकता–पी.डब्ल्यू.डी. (बी एण्ड आर) हरियाणा	आई.एम.एल.एच. स्थल को एन.एच.–148 बी. से जोड़ना	86.305	69.42	मार्च, 2023
4	नए डाबला से आई.एम. एल.एच.स्थल सीमा तक रेल साईडिंग–डी.एफ. सी.सी.आई.एल.	आई.एम.एल.एच.स्थल को डब्ल्यू.डी.एफ.सी.को नए डाबला केन्द्र से जोड़ना	144.59	72.30	अप्रैल, 2023
	कुल :–		296.68	207.51	

- परियोजना तथा इसकी संयोजकता के लिए अधिकांश भूमि भूस्वामियों से सीधी खरीदी गई है। बाकी की भूमि हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2017 के अधीन समेकित की जा रही है।
- पूर्वोक्त अधिनियम भूस्वामियों की आवश्यकता के अतिरिक्त आवेदन पर मई 2020 में संशोधित किया गया था। संशोधित अधिनियम को हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष

उपबन्ध) संशोधन अधिनियम, 2020 कहा गया है। तथापि, भूस्वामी संशोधित स्थिति से सहमत नहीं है।

- समेकन अधिनियम को परियोजना भूमि के कुल 158 एकड़ के क्षेत्र के भूस्वामियों द्वारा मई, 2019 में माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। मामला बहस के चरण में है और अंतिम बार दिनांक 17.02.2023 को सूचिबद्ध किया गया था। लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हुई और मामला अब 20.02.2023 को सुनवाई के लिये रखा गया है।
- परियोजना चरण बाररीति अर्थात चरण–1 ए (लगभग 390 एकड़) तथा चरण–1 बी (लगभग 496 एकड़) में पूरी की जा रही है जिसमें चरण–1 ए अधिकांश रूप से वाद मुक्त है।
- चरण–1 ए में आन्तरिक रेल प्रागंण विकसित करने के लिए ई.पी.सी. निविदा दस्तावेज एस.पी.वी. द्वारा प्रक्रिया के अधीन है।